विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक L00-12/2024

प्रबंध निदेशक,
मेसर्स एक्वाटिक पाईप्स एंड ट्युब्स प्रा0लि0 राजगढ़, – आवेदक
सर्वे नं. 24/3/2 एण्ड 24/3/4/2, ग्राम मनोहरपुरा
भोपाल जयपुर हाईवे, राजगढ़ (ब्यावरा)
पिन कोड –465661 (म.प्र.)

विरूद्ध

महाप्रबंधक (संचा./संधा.) वृत्त,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
राजगढ (ब्यावरा) (म0प्र0), – अनावेदक
पिन कोड–465661(म.प्र.)

आदेश
(दिनाँक 23 अगस्त' 2024)

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री इन्द्रजीत बछेरिया उपस्थित ।

अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री सी.के. वारूड़कर, डी0जी0एम0 राजगढ़ एवं श्री मुकेश अहिरवार, सहायक राजस्व अधिकारी, डी0जी0एम0 मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड राजगढ़ उपस्थित।

01. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक. बी.टी. 27/2023 में पारित आदेश दिनाँक 07.12.2023 से असंतुष्ट होने के कारण आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावदेन में आवेदक के संयोजन की मीटरिंग इक्युप्मेंट माह अगस्त' 2022 में जलने के पश्चात् फैक्ट्री में उत्पादन बंद होने के बावजूद भी पूर्व तीन माह के औसत खपत को आधार बना कर गलत विद्युत देयक जारी किये जाने पर विवाद है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैः–

आवेदक मेसर्स एक्काटिक पाईप्स एंड ट्युब्स प्रा0लि0 राजगढ़, (ब्यावरा) ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल द्वारा (प्रकरण क्र. में बी.टी.27/2023) पारित निर्णय दिनाँक 07.12.2023 के विरूद्ध म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय), विनियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत अभ्यावदेन प्रस्तुत किया है। उक्त अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किये गये :–

(i) आवेदक मेसर्स एक्काटिक पाइप्स एंड टयूब्स प्रा.लि. द्वारा फैक्ट्री के संचालन हेतु मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से 33KV का विद्युत उच्चदाब कनेक्शन लिया, जिसका नंबर H86825572496 है। दिनाँक 11/12 अगस्त 2022 को ME(Meter Equipment) जल गयी थी जिसकी तत्काल सूचना आवेदक की फैक्ट्री के इंचार्ज द्वारा अनावेदक (विद्युत वितरण कंपनी राजगढ़) के अधिकरियो को उनके अधिकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप्प मैसेज द्वारा दी गई, जिसमे फेक्ट्री/प्लांट विगत 22–23 दिनों से बंद होने बाबत सूचना भी थी। इसके बावजूद अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी ने माह अगस्त 2022 के विद्युत बिल <u>जो कि औसत विद्युत खपत के आधार पर पूरे माह का जारी किया गया, जबकि बिलिंग अवधि दिनाँक 23.07.2022 से 23.08.2022 के दौरान वास्तविक खपत (AMR DATA) दिनाँक 23.07.2022 में ME जलने कि दिनाँक 12.08.2022 तक अनावेदक राजगढ़ के पास उपलब्ध थी।</u>

(ii) उक्त विषयान्तर्गत आवेदक की शिकायत/आवेदन दिनाँक 22.09.2023 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल से निवेदन किया कि उसके उत्पादन परचेस आर्डर कि अनुपलब्धतता के कारण दिनाँक 24.07.2022 से 12.09.2022 उत्पादन पूरी तरह बंद था एंव इस बाबत चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट तथा भारतीय मानक ब्यूरो को मासिक उत्पादन कि जानकारी, जो ऑनलाइन प्रस्तुत कि जाती है, कि जानकरी दी गयी थी।

(iii) मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.26 में दोषपूर्ण या जले हुए या चोरी गए मापयंत्रो (मीटरों) की प्रतिस्थापना बाबत नियमावली दी गयी है जिसका वर्णन फोरम द्वारा की गयी समीक्षा के पैरा 10 (8) में चर्चा की गयी है जो कि निम्नानुसार है :–

"(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शहरी क्षेत्रों में चौबीस घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में बहत्तर घंटे के भीतर मापयंत्र (मीटर) प्रतिस्थापित किया जायेगा।"

लेकिन ME लगभग एक माह बाद दिनाँक 10.09.2022 को लगाई गयी, जबकि आवेदक द्वारा ME जलने की दिनाँक 12.08.2022 से लगातार अनावेदक के राजगढ़ कार्यालय तथा भोपाल को ईमेल तथा पत्र के माध्यम से ME लगाने तथा बिल संशोधन करने का अनुरोध किया गया जो आवेदक की शिकायत/आवेदन के परिशिष्ट 'डी' में सबूत के तौर पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(iv) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) द्वारा शिकायत/आवेदन को ME को बायपास कर विद्युत प्रदाय चालू करने का आधार बनाते हुए अस्वीकार किया गया। जबकि विद्युत प्रदाय करने से यह आशय कदापि नहीं है की विद्युत का consumption हुआ है, विद्युत प्रदाय एवं विद्युत consumption दोनों अलग–अलग है। ***हमारे निवेदन पर श्रीमान प्रबंध निदेशक MPCZ भोपाल द्वारा गणना कर सिर्फ आधी राशि (लगभग) का एडजस्टमेंट दिसंबर' 22 माह के बिल राशि में समायोजित किया गया, जिसके कारण ही आवेदक को फोरम में अपील करना पड़ी थी।*** *विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा आवेदक के आवेदन पर एकतरफा निर्णय लेकर अस्वीकार किया गया एवं हमारे आवेदन के मूलभूत मुद्दे पर कोई भी विचार नहीं किया गया जैसेः–*

(a) आवेदक का दिनाँक 24.07.2022 से 12.09.2022 तक परचेस आर्डर की अनुपलब्धतता की स्थिति में उत्पादन बंद था जिस बाबत चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट तथा भारतीय मानक ब्यूरो को मासिक उत्पादन कि जानकारी जो की नियमानुसार अनिवार्य है, ऑनलाइन प्रस्तुत कि जाती है, कि जानकारी आवेदक द्वारा लिखित में अनावेदक के राजगढ़ तथा भोपाल कार्यालय तथा फोरम को दी गयी थी;

(b) बिलिंग अवधि दिनाँक 23.07.2022 से 23.08.2022 के दौरान वास्तविक खपत (AMR DATA) दिनाँक 23.07.2022 से 12.08.2022, ME जलने कि दिनाँक तक (21 दिन का) अनावेदक के पास उपलब्ध थी, बावजूद इसके माह अगस्त 2022 के विद्युत बिल जो कि औसत विद्युत खपत के आधार पर पूरे माह का जारी किया गया।

(c) आवेदक द्वारा बार–बार लिखित में अनुरोध करने के पश्चात् भी अनावेदक, द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अध्याय 8 की कण्डिका 8.26 में दोषपूर्ण या जले

हुए या चोरी गए मापयंत्रो (मीटरों) का प्रतिस्थापन की समयावधि का पालन नहीं किया गया, इस पर भी फोरम ने कोई संज्ञान नहीं लिया।

(d) दिनाँक 24.07.2022 से 12.09.2022 तक परचेस आर्डर की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्पादन बंद रहा तथा इस अवधि में दिनाँक 12.08.2022 को ME जली थी तथा दिनाँक 09.09.2022 को नयी ME लगायी गयी। इस अवधि में माह ***अगस्त' 22 (23.07.2022 से 23.08.2022) एवं सितम्बर' 22 (23.08.2022 से 23.09.2022) का विद्युत बिल जारी हुआ। एक समान परिस्थितियाँ होने पर भी माह अगस्त' 22 का औसत आधार पर और माह सितम्बर' 22 का वास्तविक खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया।***

उपरोक्त स्थिति से स्वतः स्पष्ट है कि फोरम द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को नजर अंदाज कर एक तरफा निर्णय दिया गया है। विद्युत लोकपाल महोदय से अनुरोध है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 07.12.2023 को निरस्त कर ***आवेदक की शिकायत आवेदन दिनाँक 22.09.2023 को स्वीकृत कर उसके अंतर्गत कि गयी प्रार्थना पर न्यायोचित निर्णय लेने कि कृपा करें।***

03. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :-

उक्त अभ्यावदेन में आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 07.12.2023 को निरस्त कर आवेदक की फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत/आवेदन दिनाँक 22.09.2023 को स्वीकृत कर उसके अंतर्गत कि गयी प्रार्थना पर न्यायोचित निर्णय लेने कि प्रार्थना की गई।

04. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण क्र. बी.टी. 27/2023 में निम्नानुसार आदेश दिया गया :-

फोरम का निर्णयः-

"प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा उभय पक्षों को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात् उनके द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों, निष्कर्षो, कथनों तथा दस्तावेजों के आधार पर तथा स्थापित विधि/विनियमों के प्रकाश में निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता हैः-

(i) आवेदक की फैक्ट्री के मीटर की एम.ई. जल जाने के कारण मीटर में खपत नहीं आ रही थी एवं अनावेदक द्वारा तत्समय दूसरी एम.ई. उपलब्ध न होने के कारण एम.ई. बायपास कर विद्युत प्रदाय चालू किया गया। अतः संबंधित माहों, जिसमें मीटर द्वारा, खपत दर्ज नहीं

की जा रही थी परन्तु, विद्युत प्रदाय चालू था, में बिलिंग मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंण्डिका 8.44 (ख) में दिये गये प्रावधान के तहत नियमानुसार ही की गई है एवं उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदक का प्रकरण निरस्त किया जाता है।"

05. सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

आवेदक मेसर्स एक्वाटिक पाईप्स एंड ट्युब्स प्रा0लि0 जिला राजगढ़, (ब्यावरा) (म0प्र0) को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 109 दिनाँक 27.05.2024 द्वारा उनके अभ्यावेदन को विनियम में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के पश्चात् प्रेषित किये जाने के कारणों को व्यक्तिगत रूप से दिनाँक 04.06.2024 को उपस्थित होकर स्पष्ट करने हेतु अवसर दिया गया।

आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री इन्द्रजीत बछेरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनाँक 04.06.2024 को उपस्थित हुए और उनके द्वारा यह कथन किया गया कि फोरम द्वारा पारित विवादित आदेश दिनाँक 07.12.2023 को पोस्टल विभाग कि लापरवाही के कारण आवेदक को 01 मार्च, 2024 को प्राप्त हुआ।

उक्त कारणों के विवरण के साथ सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति संग्लन करते हुए आवेदक को अपना लिखित प्रतिवेदन अभिलम्ब प्रस्तुत करने हेतु कहा गया ताकि प्रकरण में उचित कार्यवाही की जा सकें।

आवेदक/उपभोक्ता द्वारा अपने पत्र दिनाँक 05.06.2024 के माध्यम से अपना लिखित प्रतिवेदन दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

❖ दिनाँक 10.06.2024 को आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर अभ्यावेदन को विनियम में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के पश्चात् प्रेषित किये जाने के कारणों को स्पष्ट किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विलंब के कारणों को संज्ञान में लेते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 की कंण्डिका क्र. 3.37 के परिपालन में आवेदक के अभ्यावेदन को ग्राह्य कर उभयपक्षों को दिनाँक 26.06.2024 को प्रारंभिक सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

❖ दिनाँक 26.06.2024 को आवेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री इन्द्रजीत बछेरिया, सी0ई0ओ0, उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से श्री सी0के0 वारूडकर, डी0जी0एम0, राजगढ़ एवं श्री मुकेश अहिरवार, सहायक राजस्व अधिकारी, डी0जी0एम0 ऑफिस, राजगढ़ उपस्थित हुए। अनावेदक

प्रतिनिधि द्वारा प्रकरण से संबंधित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड में लेकर उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई गई ।

आवेदक द्वारा सुनवाई में सूचित किया गया कि इस प्रकरण में विवादित राशि पूर्णतः जमा की जा चुकी है, जिसकी पुष्टि अनावेदक द्वारा की गई ।

आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में पृष्ठ क्रमांक – 54 पर संलग्न माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक को प्रस्तुत किया जिसमें माह अगस्त' 2022 में अधिक (excess) आंकलित युनिट्स को कम कर आवेदक को वापिस की जाने वाली राशि तीन अलग–अलग पंक्तियों में दर्शाई गई हैं, एवं लगभग 8.26 लाख रू0 का बिलिंग एडजस्टमेंट अनावेदक द्वारा उक्त बिल में किया गया हैं ।

उपरोक्त बिलिंग एडजस्टमेंट का आधार/कारण को उभयपक्षों द्वारा सुनवाई के दौरान स्पष्ट नहीं किया जा सका। अनावेदक को निम्न बिन्दुओं पर अपना प्रत्युत्तर दिनाँक 08 जुलाई' 2024 प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया :–

(i) मीटरिंग इक्यूपमेंट को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 8.26 (सी) के प्रावधान में विनिर्दिष्ट समय–सीमा में क्यों नहीं बदला जा सका ।

(ii) आवेदक को द्वितीय बिलिंग चक्र यानि 23.08.2022 से 23.09.2022 तक की गई बिलिंग में निर्धारित खपत का आधार स्पष्ट करें ।

(iii) माह दिसम्बर, 2022 के विद्युत देयक में माह अगस्त' 2022 में की गई अधिक (excess) विद्युत खपत (युनिट) की वापसी करते हुए लगभग रू. 8.26 लाख के बिलिंग एडजस्टमेंट का कारण तालिका के साथ स्पष्ट करें ।

उभयपक्षों की आपसी सहमति से इस प्रकरण में अगली **सुनवाई दिनाँक 11.07.2024** को नियत की गई।

❖ दिनाँक 11.07.2024 को अनावेदक द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर प्रस्तुत किया गया प्रत्युत्तर अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने के कारण अनावेदक को यह निर्देशित किया गया कि माह अगस्त, 2022 एवं सितम्बर, 2022 के बिलिंग चक्रों में मीटरिंग यूनिट के जलने एवं नए यूनिट बदलने की दिनाँक को स्पष्ट करते हुए आवेदक को पूर्व में की गई बिलिंग, उसका आधार एवं संशोधित बिलिंग द्वारा कम की गई आंकलित विद्युत खपत एवं राशि का स्पष्ट ब्यौरा तालिका के साथ **दिनाँक 22 जुलाई, 2024** तक उक्त जानकारी की एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराते हुए प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में

वस्तु–स्थिति का परीक्षण किया जा सके। उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली **सुनवाई दिनाँक 24.07.2024** नियत की गई।

❖ दिनाँक 24.07.2024 को अनावेदक की ओर से श्री मुकेश अहिरवार सहायक राजस्व अधिकारी, जी0एम0, ऑफिस, राजगढ़ द्वारा महाप्रबंधक (संचा./संधा.) वृत्त, राजगढ़ का पत्र क्रमांक 2755 दिनाँक 23.07.2024 प्रेषित किया, जिसके माध्यम से अनावेदक द्वारा प्रकरण में विगत सुनवाई दिनाँक 11.07.2024 एवं विद्युत लोकपाल के पत्र क्रमांक 130 दिनाँक 11.07.2024 द्वारा चाही जानकारी प्रदान करने हेतु समय मांगा गया। उपरोक्त पत्र के माध्यम से अनावेदक द्वारा इस प्रकरण में प्रभारी अधिकारी को आकस्मिक आवश्यक कार्यालयीन कार्य के कारण उपस्थित नहीं होने की सूचना भी दी गई।

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा दूरभाष पर यह सूचित किया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक को उपरोक्त कारणों से प्रातः–काल ही अवगत कराया जा चुका है, इसलिए आवेदक उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए अनावेदक को यह निर्देशित किया गया कि दिनाँक 11.07.2024 को चाही गई जानकारी का स्पष्ट ब्यौरा तालिका के साथ दिनाँक 30 जुलाई, 2024 तक उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराते हुए प्रस्तुत करें। उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली **सुनवाई दिनाँक 31.07.2024** नियत की गई।

❖ दिनाँक 31.07.2024 आवेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री इन्द्रजीत बछेरिया, सी0ई0ओ0, उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से श्री सी0के0 वारूडकर, डी0जी0एम0, जी0एम0, ऑफिस, राजगढ़ उपस्थित हुए। अनावेदक ने अपने पत्र क्रमांक 2869 दिनांक 30.07.2024 द्वारा इस प्रकरण में (सुनवाई दिनांक 11.07.2024 एव 24.07.2024 को) चाही गई बिलिंग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड में लिया गया। उक्त जानकारी की प्रति आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि को भी उपलब्ध कराई गई। आवेदक द्वारा अनावेदक के उक्त प्रत्युत्तर/जानकारी पर अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु 05 अगस्त' 2024 तक का समय मांगा गया।

उभय पक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उभय पक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे और कोई कथन नहीं किया जाना है ना ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु (आवेदक के प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने तक) सुरक्षित किया गया। तत्पश्चात् अनावेदक द्वारा दिनाँक 30.07.2024 को प्रस्तुत जानकारी एवं माह अगस्त' 2022/सितम्बर' 2022 के विद्युत देयकों में अंकित कुछ आंकड़ों में भिन्नता पाये जाने के

कारण प्रदत्त जानकारी को स्पष्ट कराने हेतु प्रकरण में **पुनः सुनवाई दिनाँक 21.08.2024** को नियत की गई।

- दिनाँक 21.08.2024 को आवेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री इन्द्रजीत बछेरिया, सी0ई0ओ0, उपस्थित हुए। अनावेदक सूचित होने के पश्चात् भी सुनवाई में अनुपस्थित रहें। अनावेदक के पत्र क्रमांक 2869–70 दिनाँक 30.07.2024 के साथ संलग्न की गई तालिका में टंकण त्रुटि को सुधार कर दूसरी तालिका अनावेदक द्वारा दिनाँक 12.08.2024 को ई–मेल से भेजी गई, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को प्रदान की गई। त्रुटि सुधार कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त तालिका पर आवेदक द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। अनावेदक द्वारा भेजी गई उक्त तालिका के साथ माह सितम्बर, 2022 का विद्युत देयक रिकार्ड में लिया गया। उपरोक्त दस्तावेजों को रिकार्ड में लेकर प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

06. सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक द्वारा कथनों का सारांश निम्नानुसार है :–

(1) अनावेदक के कथन :–

(क) दिनाँक 25.06.2024 को अनावेदक ने अपने लिखित प्रतिउत्तर में निम्न कथन किया :–

i. *मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के अध्याय–8 की कंण्डिका 8.44 (ख) के अनुसार "ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण हो तथा प्रति–परीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो या दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र वाचन चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जायेगा।" इसी आधार पर नियमानुसार आवेदक को औसत बिल दिया गया।*

ii. *आवेदक की फैक्ट्री पर कभी भी काम बंद नहीं रहता। अगर आवेदक की फैक्ट्री पर काम बंद रहता तो उसके द्वारा विद्युत कनेक्शन को टीडीसी (अस्थाई विद्युत विच्छेदन) का आवेदन आवेदक के द्वारा दिया जाता जिससे जिस समय आवेदक के यहां विद्युत का उपयोग नहीं हो रहा होता, वहां उसे बिल नहीं दिया जाता।*

iii. *जो एम.ई. आवेदक की फैक्ट्री में जल गई थी, वह तत्कालीन समय में वृत्त राजगढ़ में उपलब्ध नहीं थी, चूंकि आवेदक की एम.ई जल जाने से उसका व्यावसाय प्रभावित हो रहा था इसलिए आवेदक के मौखिक निवेदन पर ही उसका कनेक्शन बायपास किया गया था, जिससे कि आवेदक को व्यावसाय हानि न हो। जब कभी भी किसी का मीटर बायपास किया जाता है तो उसे पिछले 03 माह के एवरेज अनुसार ही औसत बिल दिया जाता है,*

उसी प्रकार आवेदक को भी उसके 03 माह के बिलों के एवरेज के आधार पर ही औसत बिल दिया गया है, जो सही है।

iv. *आवेदक की फैक्ट्री बंद नहीं थी अगर आवेदक की फैक्ट्री बंद होती तो उसके द्वारा इतनी अधिक उत्सुकता एम.ई. बदलवाने की नहीं की जाती तथा एम.ई की अनुपस्थिति में कनेक्शन बायपास नहीं करवाया जाता।*

अतः अनुरोध है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनाँक 07.12.2023 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन को खारिज करने का कष्ट करें।

(ख) दिनाँक 03.07.2024 एवं 30.07.2024 को अनावेदक ने अपने लिखित प्रतिउत्तर में निम्न कथन किया:–

"उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

1. *उच्च दाब उपभोक्ता मेसर्स एक्वाटिक पाइप्स एण्ड ट्यूब्स प्रा.लि.मि. के यहॉ स्थापित दिनाँक 11.08.2022 को जल गई थी। राजगढ वृत्त में सी.टी.पी.टी. उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे उस समय बदला नहीं जा सका। क्षेत्रीय भंडार भोपाल द्वारा सी.टी.पी.टी. यूनिट प्रदान करने के उपरांत दिनाँक 09.09.2022 को उपभोक्ता के यहॉ नवीन सी.टी.पी.टी यूनिट स्थापित कर दी गई। माह अगस्त' 2022 में उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 8.44 के आधार पर औसत खपत (2,43,297 यूनिट) का बिल एवं माह सितम्बर' 2022 में ए.एम.आर रिडिंग के आधार पर बिल प्रदान किया गया था।*

2. *उपभोक्ता के द्वारा उक्त बिल पर आपत्ति दर्ज करने एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत उपभोक्ता को जारी औसत बिल माह अगस्त, 2022 को उक्त माह में मीटर में दर्ज खपत (दिनाँक 24.07.2022 से 10.08.2022) 3642 यूनिट के आधार पर माह के शेष दिवस (दिनाँक 11.08.2022 से 23.08.2022) हेतु औसत खपत 2493 यूनिट मान कर कुल 6134 यूनिट काबिल माह अगस्त' 2022 में जारी किया गया।*

3. *माह सितम्बर' 2022 में उपभोक्ता के परिसर में सी.टी.पी.टी यूनिट बदलने की दिनाँक 09.09.2022 से 23.09.2022 तक मीटर में दर्ज खपत 90474 यूनिट के आधार पर माह के शेष दिवस (दिनाँक 24.08.2022 से 09.09.2022) हेतु औसत खपत 109861 यूनिट मान कर कुल 200335 यूनिट का बिल माह सितम्बर' 2022 में जारी किया गया। माह*

दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक में माह अगस्त' 2022 एवं सितम्बर' 2022 में की गई अधिक बिलिंग का समायोजन राशि रू. 8,26,201/– किया गया है।"

(2) आवेदक के कथन :–

सुनवाई दिनांक 31.07.2024 के संदर्भ में आवेदक ने अपने लिखित प्रतिउत्तर में निम्न कथन किया :–

(i) *महाप्रबंधक, राजगढ़ के उक्त पत्र से स्वतः ही हमारे प्रकरण की समस्त कहानी विदित हो जाती है। इस पत्र से स्पष्ट है कि Central DISCOM द्वारा अगस्त'22 में औसत उपभोग के आधार जो 243297 यूनिट को गलत बिल दिया गया था तथा इस बाबत गलती सुधारते हुए DISCOM ने स्वयं यह पाया कि उक्त बिल 6134 यूनिट्स उपभोग का ही जारी किया जाना चाहिये था। इस प्रकार DISCOM ने स्वीकार किया है कि उसने Rs.14,88,953/– को ज्यादा/अतिरिक्त बिलिंग की थी जो Refund योग्य है।*

(ii) *आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में उक्त तथ्य को ही रेखांकित किया है कि हमारी फैक्ट्री में दिनांक 24.07.2022 से 12.09.2022 तक प्रोडक्शन पूर्णरूपेण बंद था। अतएव अगस्त माह के बिलिंग पीरियड में कोई उत्पादन नहीं हुआ था। अतएव अगस्त' 22 के बिल में सुधार की जरुरत है। इन्ही सब तथ्यों को ध्यान में रखकर DISCOM ने Rs.14,88,953/– की राशि की excess बिलिंग स्वीकार की है जैसा कि महाप्रबंधक, राजगढ़ के उक्त पत्र दिनांक 30.07.2024 एवं इसके अनुलग्नको से स्पष्ट है।*

(iii) *इस प्रकार सारा मुद्दा केवल अगस्त' 22 की excess बिलिंग का था जिसे Central DISCOM के अनुसार Rs. 14,88,953/- की excess बिलिंग की गयी थी तथा यह राशि मय ब्याज refund योग्य थी।*

किन्तु आश्चर्य कि बात यह है कि Rs. 14,88,953/- की उक्त excess बिलिंग स्वीकार करने के बावजूद इस राशि के रिफंड के स्थान पर DISCOM द्वारा केवल Rs. 8,26,201/-की राशि को ही दिसंबर' 22 के बिल में Adjust किया गया एवं बाकी राशि Rs. 6,62,752/- को Refund करने के बजाय उपभोक्ता को अंधकार में रखते हुए सितम्बर'22 के वास्तविक बिल से छेड़छाड़ कर इस बिल की राशि को Rs. 6,62,752/–से DISCOM द्वारा अपने स्तर पर बढ़ा कर समायोजित कर लिया गया।

(iv) *इस प्रकार Central DISCOM द्वारा अपील का मुद्दा अनावश्यक रूप से अगस्त' 22 से छिटक कर सितम्बर'22 की बिलिंग पर ला दिया गया है। तदनुसार, अब सितम्बर' 22 की बिलिंग की तथ्य परक समीक्षा करना अति आवश्यक हो गयी है।*

(v) *विद्युत लोकपाल के समक्ष यह स्पष्ट है कि दिनांक 09.09.2022 को नई ME लगाई गयी थी किन्तु इस के बाद भी दिनांक 12.09.2022 तक हमारा उत्पादन पूर्णरूपेण बंद था। इस प्रकार आवेदक द्वारा उत्पादन दिनांक 13.09.2022 से प्रारम्भ हुआ था तथा MPCZ के पास ME लगाने के बाद के चार दिन यानि दिनांक 09.09.2022 से दिनांक 12.09.2022 के दौरान के वास्तविक खपत का AMR DATA उपलब्ध है, जिस से स्वतः प्रमाणित होता है कि उत्पादन बंद होने के कारण दिनांक 09.09.2022 नई ME लगने से दिनांक 12.09.2022 तक आवेदक द्वारा कोई विद्युत् उपभोग नहीं किया गया था क्योंकि आवेदक की फैक्ट्री में दिनाँक 12.09.2022 तक प्रोडक्शन पूर्णरूपेण बंद था।*

(vi) ***उपरोक्तनुसार, यह स्पष्ट है कि जब सेंट्रल डिस्कॉम द्वारा अगस्त' 22 में फैक्ट्री में उत्पादन बंद होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए अगस्त' 22 के बिल को वास्तविक खपत के आधार पर जारी करते हुए इसमें Rs. 14,88,953/– EXCESS बिलिंग को स्वीकार किया गया। अतएव सितम्बर' 22 के वास्तविक खपत के आधार पर जारी बिल को DISCOM द्वारा अपने स्तर पर ही REVISE कर औसत आधार पर ऊर्जा खपत का आकलन कर उक्त Rs.14,88,953/– REFUNDABLE राशि में से Rs. 6,62,752/– का समायोजन करना कहीं से भी विधिसम्मत नहीं है।***

(vii) *उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विद्युत लोकपाल इस बात से सहमत होंगे की डिस्कॉम की अक्षमता के लिए उपभोक्ता को दण्डित करना उचित नहीं है क्योंकि यदि मध्य प्रदेश विघुत प्रदाय संहिता 2021 के कंडिका 8.26 (ग) का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा में बदल दी जाती तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इसी प्रकार, एनर्जी आडिट के दौरान Collectorate फीडर का डिफेक्टिव होने के कारण भी उपभोक्ता का नुकसान कर अधिक बिलिंग करने का कोई औचित्य नहीं है। उपभोक्ता द्वारा ME के जलने कि दिनाँक 11.08.2022 से लगातार इस ME (मीटर) को बदलने का निवेदन MPCZ राजगढ़/भोपाल को निवेदन किया गया था जिसकी प्रति विद्युत लोकपाल महोदय को भी संलग्न परिशिष्ट 'D' में अवलोकनार्थ दी गयी है। MPCZ, राजगढ़ की गलती का*

खामियाजा भुगतने के लिए उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ डाला जाना किसी भी दृष्टि कोण से न्यायपूर्ण नहीं है।

विद्युत लोकपाल महोदय से अनुरोध है कि हमारे अभ्यावेदन को स्वीकार कर उसके अंतर्गत कि गयी प्रार्थना पर न्यायोचित निर्णय लेने की कृपा करें।

07. निष्कर्ष एवं निर्णयः–

(1) आवेदक मेसर्स एक्कवाटिक पाईप्स एंड ट्युब्स प्रा0लि0, ग्राम मनोहरपुरा, राजगढ़ (म0प्र0) द्वारा 950 KVA उच्चदाब कनेक्शन 33 के0वी0 वोल्टेज पर अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी से लिया गया है। उक्त संयोजन की मीटरिंग इक्यूपमेंट (ME) 11/12 अगस्त' 2022 को जलने और अनावेदक के पास मीटरिंग इक्यूपमेंट (MB) उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदक के उच्चदाब संयोजन को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 8.26 (क) के अनुपालन में मीटरिंग इक्यूपमेंट को बायपास (अमीटरीकृत) कर अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत संयोजन को चालू किया गया ।

(2) उक्त मीटरिंग इम्यूपमेंट के जलने की सूचना आवेदक के प्लांट इंचार्ज द्वारा अनावेदक वितरण कंपनी को दूरभाष पर की गई थी। आवेदक/उपभोक्ता द्वारा अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी को व्हाटस्अप पर यह भी सूचित किया गया था कि आवेदक की फेक्ट्री/प्लांट लगभग 22–23 दिनों से क्रय आदेश नहीं होने के कारण बंद है।

(3) प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार अनावेदक द्वारा उक्त संयोजन की मीटरींग इक्यूपमेंट जलने के कारण माह अगस्त' 2022 की बिलिंग मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंण्डिका 8.44 (ख) अनुसार पूर्व तीन मापयंत्र वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर की गई।

(4) तत्पश्चात् मीटरिंग इक्यूपमेंट उपलब्ध होने पर अनावेदक द्वारा जले मीटरिंग इक्यूपमेंट को 09 सितम्बर' 2022 को बदलकर आवेदक का विद्युत संयोजन मीटरीकृत किया गया। उभयपक्षों के कथन अनुसार दिनाँक 09 सितम्बर' 2022 को मीटरिंग यूनिट बदलने के पश्चात् माह सितम्बर' 2022 की बिलिंग उपरोक्त आधार (पूर्व तीन मासिक चक्रों के मासिक औसत) पर न करते हुए मीटरिंग इक्यूपमेंट के बदलने की दिनांक (09.09.2022) के पश्चात वास्तविक खपत के आधार पर की गई ।

(5) प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं सुनवाई के दौरान आवेदक को निम्न तीन बिन्दुओं पर अनावेदक द्वारा की गई बिलिंग से क्षुब्ध/असंतुष्ट पाया गया :–

(क) अनावेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 8.26 (ग) के अनुसार खराब/जले मीटरिंग इक्यूपमेंट को 24 घंटे की समय–सीमा के अन्दर नहीं बदला गया।

(ख) अनावेदक द्वारा दिनाँक 23.07.2022 से 12.08.2022, (ME जलने की दिनाँक तक) की वास्तविक खपत (AMR DATA) उपलब्ध होने के बावजूद भी माह अगस्त' 2022 के विद्युत देयक में पूर्व तीन माह की खपत के औसत विद्युत खपत के आधार पर बिलिंग की गई।

(ग) दिनाँक 09.09.2022 को दूसरी ME लगायी गयी एवं इस अवधि में माह सितम्बर' 22 (23.08.2022 से 23.09.2022) का विद्युत देयक वास्तविक खपत के आधार पर जारी हुआ। इस प्रकार माह अगस्त' एवं सितम्बर' 2022 में एक समान परिस्थितियां होने के बावजूद माह अगस्त' 22 का विद्युत देयक औसत आधार पर और माह सितम्बर, 22 का विद्युत देयक वास्तविक खपत के आधार पर जारी किया गया ।

(6) इस प्रकरण में फोरम के निर्णय में अनावेदक द्वारा की गई बिलिंग मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.44 (ख) के अनुसार मानकर सही पाई गई, जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

(7) दिनांक 26.06.2024 की सुनवाई में आवेदक द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रकरण में विवादित राशि पूर्णतः आवेदक द्वारा जमा की जा चुकी है। उक्त कथन की पुष्टि अनावेदक द्वारा भी की गई ।

(8) प्रस्तुत अभ्यावदेन के पैरा क्रमांक पाँच (5) में आवेदक ने यह कथन किया है कि आवेदक द्वारा अनावेदक वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) के समक्ष प्रार्थना करने पर अनावेदक द्वारा माह अगस्त' 2022 में की गई आंकलित विद्युत खपत को कम कर माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक में उक्त विद्युत खपत की राशि को समायोजित किया गया है। आवेदक के उपरोक्त कथन को संज्ञान में लेकर सुनवाई के दौरान उपभयपक्षों से यह पूछा गया कि माह दिसम्बर' 2022 में समायोजित की गई राशि का आधार/कारण क्या था। इसके प्रतिउत्तर में आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में से पृष्ठ क्रमांक–54 पर संलग्न माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक को दिखाया गया जिसमें माह अगस्त' 2022 में अधिक (excess) आंकलित खपत (युनिट्स) को कम करने पर आवेदक को वापिस की जाने वाली राशि को तीन पृथक

पंक्तियों में दर्शाते हुए लगभग 8.26 लाख रू0 की बिलिंग कम कर राशि का एडजस्टमेंट अनावेदक द्वारा उक्त बिल में किया गया हैं ।

(9) अनावेदक द्वारा माह अगस्त' 2022 एवं माह सितम्बर' 2022 में की गई आंकलित युनिटों को एक समान सिद्धांत अनुसार सही करने के उपरांत माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक में उक्त राशि के समायोजन का ब्यौरा/विवरण फोरम द्वारा पारित आदेश में नहीं पाया गया।

(10) माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक में बिलिंग एडजस्टमेंट का आधार एवं कारण अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के दौरान स्पष्ट नहीं किया जा सका। अतः अनावेदक को निम्न बिन्दुओं पर अपना प्रत्युत्तर दिनाँक 08 जुलाई' 2024 तक उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराते हुए प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया :–

- मीटरिंग इक्यूपमेंट को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 8.26 (ग) के प्रावधान में विनिर्दिष्ट समय–सीमा में क्यों नहीं बदला जा सका ।
- आवेदक को द्वितीय बिलिंग चक्र यानि 23.08.2022 से 23.09.2022 तक की गई बिलिंग में निर्धारित खपत का आधार स्पष्ट करें ।
- माह दिसम्बर, 2022 के विद्युत देयक में माह अगस्त' 2022 में की गई अधिक (excess) विद्युत खपत (युनिट) की वापसी करते हुए लगभग रू. 8.26 लाख के बिलिंग एडजस्टमेंट का विवरण तालिका के साथ स्पष्ट करें।

(11) उपर्युक्त बिन्दुओं पर अनावेदक द्वारा अपूर्ण एवं अस्पष्ट प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर अनावेदक से माह अगस्त, 2022 एवं सितम्बर, 2022 के बिलिंग चक्रों में मीटरिंग यूनिट के जलने एवं नए यूनिट बदलने की दिनांक को स्पष्ट करते हुए आवेदक को पूर्व में की गई बिलिंग, उसका आधार एवं संशोधित बिलिंग द्वारा कम की गई आंकलित विद्युत खपत एवं राशि का स्पष्ट ब्यौरा तालिका के साथ दिनाँक 22 जुलाई' 2024 तक प्रकरण में वस्तु–स्थिति का परीक्षण हेतु मांगा गया।

(12) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से ज्ञात हुआ कि आवदेक के बार–बार निवेदन पर अनावेदक के प्रबंधन में सक्षम अधिकारी के निर्देश पर आवेदक को माह अगस्त' 2022 में पूर्व तीन माहों की औसत खपत के आधार पर पूर्व में की गई आंकलित खपत (2,43,297 यूनिट) के स्थान पर दिनाँक 24.07.2022 से 10.08.2022 तक की वास्तविक खपत के आधार पर माह अगस्त' 2022 (24.07.2022 से 23.08.2022) में कुल 6134 युनिट पर ही अनावेदक द्वारा माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक में समायोजन कर बिलिंग में सुधार किया गया। इसी प्रकार माह सितम्बर' 2022 में भी 09 सितम्बर' 2022 (मीटरिंग इक्युपमेंट बदलने की दिनाँक) के पश्चात् की वास्तविक खपत के आधार पर दर्ज खपत में उपयुक्त सुधार कर माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक में ही दोनों माहों

(अगस्त' 2022 एवं सितम्बर' 2022) की अंतर राशि का समायोजन कर अनावेदक द्वारा माह दिसम्बर' 2022 में कुल राशि रू. (–) 8,26,201.00 आवेदक की बिलिंग कम की गई, जिसका संक्षिप्त विवरण अनावेदक द्वारा निम्न तालिका में दिया गया :–

Date of ME Failiare- 11.08.2022

Bill Month August, 2022 Remark

1	Consumption Record (24/07/2022 To 10/08/2022)	-	3642	Unit	
2	Average Consumption(11/08/2022 To 23/08/2022)	-	2492	Unit	Assessed Unit by Prorating
3	Total Consumption	-	6134	Unit	
4	Total Bill		4,54,445.00	Rs.	
5	Average Consumption(24/07/2022 To 23/08/2022)	-	243296	Unit	On the basis of average of Previous three Month
6	Already Billed	-	19,43,398.00	Rs.	
A	Difference Amount(6-4)	-	- 4,88,953.00	Rs.	

Date of ME Replaced- 09.09.2022

Bill Month September, 2022					Remark
1	Consumption Record (09/09/2022 To 23/09/2022)	-	90474	Unit	
2	Average Consumption(24/08/2022 To 09/09/2022)	-	109861	Unit	Assess Unit by Prorating
3	Total Consumption	-	200335	Unit	
4	Total Bill	-	16,86,804.00		
5	Already Billed Unit	-	95286	Unit	on basis of AMR
6	Already Billed Amount	-	10,24,052.00	Rs.	
B	Difference Amount	-	6,62,752.00	Rs.	
	Total Amt. Credited (A-B) (-) 8,26,201			Rs.	

(13) उपरोक्तानुसार माह अगस्त' 2022, सितम्बर' 2022 एवं दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयकों के परीक्षण पर यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा माह अगस्त' 2022 में पूर्व तीन माहों के औसत के आधार पर आंकलित खपत पर की गई बिलिंग राशि एवं माह सितम्बर' 2022 में अलग आधार पर दर्ज युनिटों को भी समान आधार (सिद्धांत) पर सही कर बिलिंग पुनरीक्षित की गई। उक्त दोनों माहों में अमीटरीकृत अवधि में आंकलित युनिटों की अवधारणा समान आधार पर करते हुए माह दिसम्बर'

2022 के विद्युत देयक में पुनरीक्षित बिलिंग राशि का समायोजन किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार पाया गया :—

तालिका—1: अनावेदक द्वारा माह अगस्त' 2022 एवं सितम्बर' 2022 के विद्युत देयकों में पूर्व में की गई विवादित बिलिंग:—

क्रमांक	विषय	विद्युत खपत (युनिट)
माह अगस्त' 2022	1. मीटरिंग युनिट जलने के पश्चात् माह अगस्त' 2022 के विद्युत देयक में आंकलित विद्युत खपत (पूर्व तीन माहों के औसत के आधार पर) (24.07.2022 से 23.08.2022) तक	**2,43,297 युनिट**
	2. उपरोक्त क्रमांक (1) की आंकलित खपत के आधार पर (माह अगस्त' 22 में की गई बिलिंग)	**रू. 19,43,398.00**
माह सितम्बर' 2022	3. मीटरिंग युनिट बदलने के बाद की वास्तविक खपत (09.09.2022 से 23.09.2022	90474 युनिट
	4. माह सितम्बर' 2022 के विद्युत देयक में दर्ज विद्युत खपत	95286 युनिट
	5. उपरोक्त खपत के आधार पर पूर्व में माह सितम्बर' 2022 के देयक अनुसार आवेदक द्वारा जमा राशि	रू. 10,24,052.00
	6. उपरोक्तानुसार माह अगस्त' 2022 एवं सितम्बर' 2022 में की गई विवादित बिलिंग (2 + 5)	रू. 29,67,450.00

तालिका–2: माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक में उपरोक्त दोनों माहों की बिलिंग में आंकलित खपत में सुधार कर समायोजित बिलिंग राशि :–

क्रमांक	विषय	विद्युत खपत (युनिट)
माह अगस्त' 2022	1. मीटरिंग युनिट जलने के पूर्व की वास्तविक खपत (24.07.2022 से 10.08.2022 तक	3642 युनिट
	2. उपरोक्त खपत के आधार पर मीटरिंग युनिट जलने के बाद (11.08.2022 से 23.08.2022) तक अगस्त की पुनरीक्षित खपत	2492 युनिट
	3. कुल पुनरीक्षित खपत	6134 युनिट
	4. उपरोक्त पुनरीक्षित खपत पर कुल पुनरीक्षित बिल (माह अगस्त'2022)	**रू. 4,54,445.00**
माह सितम्बर' 2022	5. माह सितम्बर' 2022 में मीटरिंग युनिट बदलने के पश्चात् (09.09.2022 से 23.09.2022) तक की वास्तविक खपत	90,474 युनिट
	6. माह सितम्बर' 2022 में वास्तविक खपत के आधार पर पुनरीक्षित औसत खपत	109861 युनिट
	7. माह सितम्बर' 2022 में कुल पुनरीक्षित खपत	200335 युनिट
	8. उपरोक्त खपत पर माह सितम्बर' 2022 की पुनरीक्षित बिलिंग	रू. 16,86,804.00
अनावेदक द्वारा माह दिसम्बर' 2022 में संशोधन पश्चात् समायोजित बिलिंग राशि	9. पूर्व में माह अगस्त' 2022 और माह सितम्बर' 2022 की बिलिंग	19,43,398.00 + 10,24,052 = 29,67,450.00
	10. माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक में माह अगस्त' 2022 एवं सितम्बर' 2022 की कुल पुनरीक्षित बिलिंग	रू. 4,54,445.00 + 16,86,804.00 = 21,41,249.00
	11. माह दिसम्बर' 2022 के बिल में समायोजित अंतर	29,67,450 – 21,41,249.00 = **रू. 8,26,201.00**

(14) म.प्र विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कंण्डिका 8.44 (ख) में मीटर कार्यरत् नहीं रहने की स्थिति में विद्युत प्रभार की वसूली हेतु विद्युत देयक तैयार करने हेतु निम्न प्रावधान हैः–

8.44 *जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत् नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगाः–*

"(क) *यदि प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (रीडिंग) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।*

(ख) *ऐसे प्रकरण में, जहां मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण हो तथा प्रति–परीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो या दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर दोषपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि* ***यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अर्न्तगत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं, जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता कि लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।*** *यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे, जिनका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा।*

(ग) *अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयंत्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर प्रावधिक देयक (प्रोविजनल बिल) जारी कर सकेगा, जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा।"*

(15) उपरोक्त कंण्डिका 8.44 (ख) एवं (ग) में प्रावधान अनुसार अनावेदक द्वारा बिलिंग में संशोधन के पश्चात् आवेदक के माह अगस्त' 2022 एवं सितम्बर' 2022 के बिल में उपयुक्त सुधार किया जा चुका है। आवेदक के बिलों में उक्त समायोजन अनावेदक द्वारा माह दिसम्बर' 2022 के विद्युत देयक में किये जाने पर इस प्रकरण में आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना स्वतः ही निराकृत हो जाती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान उसके द्वारा इस आदेश के अनुच्छेद क्रमांक 6 (2) (vi) में दर्ज तर्क स्वीकारयोग्य नहीं हैं।

08. फोरम का निर्णय यथावत रहेगा। इस आदेश में उपरोक्त निष्कर्ष एवं निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है। उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

09. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों एवं फोरम को आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस हो।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल